झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 27 अग्रहायन, 1945 [श0] / 18 दिसम्बर, 2023 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01–	अ0सू0– 33	श्री प्रदीप यादव	बहाली करना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
02–	अ0सू0– 06	श्री कमलेश कुमार सिंह	मुआवजा का भुगतान कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	11.12.2023
03–	अ0सू0– 22	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	नई नियमावली के अनुसार प्रोन्नति।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
04–	अ0सू0– 02	श्री आलोक कु0 चौरसिया	थाना खोलना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	11.12.2023
05–	अ0सू0– 25	श्री सरयू राय	विशेष दल से जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
06–	अ0सू0– 49	श्री विकास कुमार मुण्डा	कार्यालयों की स्थापना कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
07–	अ0सू0– 45	श्री सुदेश कुमार महतो	सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
08–	अ0सू0– 05	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	नियोजन सूची उपलब्ध कराना।	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	11.12.2023

:→ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक – 7044, दिनांक - 15.12.2023 के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
09—	अ0सू0— 07	डॉ0 लम्बोदर महतो	मुआवजा में बढ़ोतरी करना।	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.12.2023
10—	अ0सू0— 09	डॉ0 लम्बोदर महतो	अनुपातिक आरक्षण देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
11—	अ0सू0— 21	श्री मनीष जायसवाल	नियुक्ति करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
12—	अ0सू0— 01	श्री अमित कुमार मंडल	विभागीय कार्यवाही करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	11.12.2023
13—	अ0सू0— 17	श्री अनन्त कुमार ओझा	कार्यरत कर्मियों की संख्या।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
14—	अ0सू0— 23	श्री उमाशंकर अकेला	बंदियों को रिहा करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
15—	अ0सू0— 42	श्री लोबिन हेम्ब्रम	न्यायादेश का अनुपालन करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
16—	अ0सू0— 18	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	मुआवजा तथा कृषि ऋण माफ करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
17—	अ0सू0— 47	सुश्री अम्बा प्रसाद	अनुमण्डल का दर्जा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
18—	अ0सू0— 15	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	ऑपरेशन मुस्कान चलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
* 19—	अ0सू0— 12	श्री बिरंची नारायण	समस्याओं का समाधान करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
# 20—	अ0सू0— 43	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	कर्मियों का पदस्थापन करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
21—	अ0सू0— 11	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	रोजगार देना।	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.12.2023
22—	अ0सू0— 28	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	सी0सी0टी0वी0 लगाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
23—	अ0सू0— 30	श्री समीर कुमार मोहन्ती	महिला कांस्टेबल का पदस्थापन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023

→ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक - 6986, दिनांक - 14.12.23 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

* → कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक - 6983, दिनांक - 14.12.23 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

कृ0पृ0उ0—

01.	02.	03.	04.	05.	06
24—	अ0सू0— 41	श्री अमित कुमार यादव	मुआवजा का भुगतान।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
25—	अ0सू0— 24	श्री उमाशंकर अकेला	रोजगार सुनिश्चत करना।	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.12.2023
# 26—	अ0सू0— 36	श्री दुलू महतो	प्रखण्ड का सृजन करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
27—	अ0सू0— 29	श्री मनीष जायसवाल	भूमि अधिग्रहण करना।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी	13.12.2023
28—	अ0सू0—34	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	यातायात थाना का सृजन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
29—	अ0सू0— 35	डॉ0 सरफराज अहमद	भत्तो में बढ़ोतरी करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
30—	अ0सू0— 10	श्री बिरंची नारायण	सूचना आयोगो की नियुक्ति।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
31—	अ0सू0— 20	श्री विनोद कुमार सिंह	गृह, निर्माण अग्रिम स्वीकृत करना।	वित्त	13.12.2023
32—	अ0सू0— 31	श्रीमती पुष्पा देवी	AK-47 युक्त अंगरक्षक उपलब्ध कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
33—	अ0सू0— 27	श्री समीर कुमार मोहन्ती	जाति प्रमाण—पत्र निर्गत करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
34—	अ0सू0— 40	श्री विनोद कुमार सिंह	धारा—2 को विलोपित करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
35—	अ0सू0— 32	श्रीमती पुष्पा देवी	अग्निशमन वाहन की व्यवस्था करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
36—	अ0सू0— 14	डॉ0 इरफान अंसारी	ITI कॉलेज खोलना।	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.12.2023
37—	अ0सू0— 48	सुश्री अम्बा प्रसाद	आरक्षण की सीमा बढ़ाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
38—	अ0सू0— 16	श्री अनन्त कुमार ओझा	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023

→ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक - 6985, दिनांक - 14.12.23 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
39—	अ0सू0— 13	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	आयोग का गठन करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
40—	अ0सू0— 04	श्री कमलेश कुमार सिंह	प्लेसमेंट सेल का स्थापना।	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	11.12.2023
41—	अ0सू0— 37	श्री प्रदीप यादव	कार्य योजना लागु करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
42—	अ0सू0— 08	श्री दशरथ गागराई	मुआवजा राशि में वृद्धि	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
43—	अ0सू0— 44	श्री रामचन्द्र सिंह	पठन—पाठन शुरू कराना।	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	13.12.2023
44—	अ0सू0— 19	श्री लोबिन हेम्ब्रम	राजभाषा का दर्जा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
45—	अ0सू0— 46	श्री राजेश कच्छप	शहीद का दर्जा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
46—	अ0सू0— 38	श्री राजेश कच्छप	दोषियों पर कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.12.2023
# 47—	अ0सू0— 26	श्री केदार हजरा	विज्ञापन में संशोधन।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.12.2023
48—	अ0सू0— 39	श्री सरयू राय	रिक्तियों को भरना तथा कराधान प्रक्रिया में सुधार।	वाणिज्यकर	13.12.2023

→ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक - 6184, दिनांक - 14.12.23 के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक— 18 दिसम्बर, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0 वि0 स0 प्रश्न– 02/2020.....2430...../वि0स0, रांची, दिनांक– 17.12.23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

17/12/23

(संजीत कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0 वि0 स0 प्रश्न– 02/2020.....2430...../वि0स0, रांची, दिनांक– 17/12/23

प्रतिः– मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

17/12/23

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0 वि0 स0 प्रश्न– 02/2020.....2430...../वि0स0, रांची, दिनांक– 17.12.23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17/12/23

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष

15/12/2023

01

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–33 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, गृह रक्षा वाहिनी की बहाली जिला स्तर पर उपायुक्त के देख–रेख में होता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, विगत 5 वर्षों में अबतक होमगार्ड के खाली पदों पर पूरी बहाली न होने के कारण आम नौजवान इस अवसर से वंचित है और समुचित पुलिस बल की भी जिलों में कमी हो रही है;	झारखण्ड राज्य के 16 (सोलह) जिला/इकाईयों में गृह रक्षकों की नवनामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शेष जिला/इकाई में गृह रक्षकों का नवनामांकन कार्य प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब होमगार्ड की बचे पदों पर बहाली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (अ०सू०)–29/2023–6998/ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, को उनके ज्ञापांक–2229, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

(02)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–06 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता **श्री कमलेश कुमार सिंह,** माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता **श्री बन्ना गुप्ता,** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा राशि भुगतान हेतु वर्ष 2023–24 में कुल 28 लाख 36 हजार रुपये का आवंटन पलामू जिला को उपलब्ध कराया गया था, जिसका शत प्रतिशत व्यय किया जा चुका है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले में खण्ड–1 में वर्णित आवंटित राशि के व्यय के पश्चात वज्रपात में मृत व्यक्तियों एवं पशुओं हेतु मुआवजा के भुगतान के लिए कुल 35 लाख 35 हजार 400 रुपये की राशि के आवंटन के संदर्भ में उपायुक्त, पलामू ने अपने पत्रांक–186, दिनांक–26.09.2023 के द्वारा सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पत्राचार किया है, परन्तु 8 दिसम्बर, 2023 तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है,	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वज्रपात में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा मृत पशुओं के मालिकों को मुआवजे की राशि भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पलामू जिला में वज्रपात से मृत व्यक्तियों एवं पशुओं के मुआवजा से संबंधित याचित राशि का आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय के पश्चात कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / विधायी(अल्प–सूचित)–56 / 2023–आ०प्र०– 883 /राँची, दिनांक– 15.12.2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

15/12/2023

(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

(3)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संबद्ध विभाग द्वारा पत्रांक–14/कोर्ट–02.11.2022 का 3463 दिनांक–03.06.2022 के द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक में प्रोन्नति दिये जाने के लिये नयी नियमावली के अनुपालन हेतु पुलिस मुख्यालय (कार्मिक), झारखण्ड, राँची को निर्देशित किया गया था;	स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–3463, दिनांक–03.06.2022 के माध्यम से प्रोन्नति पर जारी स्थगन संबंधी आदेश को आहरित करते हुए नई नीति के अनुसार प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि प्रश्नखंड–1 में उल्लेखित पत्रांक में वर्णित नियमावली की अवहेलना कर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय झारखण्ड राँची द्वारा 1405/पी0, दिनांक–24.11.2023 द्वारा पूरक प्रोन्नति के तहत 41 पुलिस अवर निरीक्षकों को पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के लिये 27.11.2023 तक मनोनयन की माँग की गयी है;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, बिहार, पटना अंगीकृत झारखण्ड राज्य का पत्रांक–117, दिनांक–30.09.1995 के आलोक में दिनांक–27/28.05.2020(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–3463, दिनांक–03.06.2022 निर्गत होने के पूर्व) के सम्पन्न म0नि0 चयन पर्षद की बैठक में सील बन्द प्रक्रिया अपनाये गये 41 पु0अ0नि0 के लंबित मामलों में दायर विभिन्न याचिकाओं के आलोक में समीक्षा हेतु सेवाभिलेख की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–3463, दिनांक–03.06.2022 निर्गत होने के पूर्व का सील बंद प्रक्रिया के तहत अपनाये गये लंबित मामलों का कार्मिक विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–3463, दिनांक–03.06.2022 निर्गत होने के बाद इसके प्रभाव के संबंध में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–701/पी0, दिनांक–12.12.2023 के द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गई है, जिस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्त्तमान में इसमें प्रोन्नति देने के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो किस परिस्थिति में प्रोन्नति संबंधी नयी नियमावली की अवहेलना कर पुरानी नियमावली के अनुसार प्रोन्नति के लिये मनोनयन की माँग की गयी है तथा क्या सरकार ज्ञापांक–1405/पी0, दिनांक–24.11.2023 पर कार्रवाई को रोककर नयी नियमावली के अनुसार प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू करने पर सरकार विचार करेगी, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–1007/2023–.....6020...../ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2239, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के भण्डरिया प्रखण्ड के अलग हुए नव–सृजित प्रखण्ड–बड़गड़ थाना विहिन है तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त प्रखण्ड में एक थाना की आवश्यकता महसूस की जा रही है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखण्ड एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है, जहाँ अपराधियों एवं उग्रवादियों का आवागमन किसी–न–किसी रूप में होते रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र में थाना खोलने का विचार रखती है; हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	गढ़वा जिला के नवसृजित प्रखण्ड बड़गड़ में थाना सृजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त है। समीक्षोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–23/2023–...6015.../...   राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2179, दिनांक–11.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

05

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, जमशेदपुर साईबर थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी संख्या–25/2023 दर्ज है, जिसमें जब्त विडियो क्लिप वाले पेन ड्राईव की जाँच एफ़एसएल, राँची से कराने का निदेश विशेष न्यायाधीश (साईबर अपराध) ने दिया है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, विडियो क्लिप पेन ड्राईव एफ़एसएल में भेजते समय न्यायालय ने यह जाँचने का निदेश दिया है कि 1–(अश्लील विडियो क्लिप **Morphed** है या **original** है, 2) विडियो क्लिप का **original source** क्या है, परन्तु जाँच के लिए अनुसंधानकर्त्ता द्वारा दिया गया विडियो क्लिप **original** ट्विटकर्त्ता एवं आरंभिक 14 रिट्वीटकर्तायों का नहीं, बल्कि 15वें रिट्वीटकर्ता का है;	1. माननीय न्यायालय द्वारा इस कांड में जप्त विडियो क्लिप पेन ड्राईव को एफ०एस०एल०, राँची भेजकर विडियो क्लिप के परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है कि पेन ड्राईव में भेजी गयी अश्लील विडियो क्लिप **Morphed** है या **Original** है। 2. कांड के अनुसंधान के दौरान पेन ड्राईव में उपलब्ध विडियों क्लिप की जाँच के लिए अनुसंधाकर्त्ता द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर एफ०एस०एल० जाँच हेतु भेजा गया। वर्त्तमान में उक्त कांड अनुसंधान अंतर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि एफ़एसएल, राँची ने विडियो क्लिप की जाँच करने से मना कर दिया है एवं माननीय न्यायाधीश ने 06.11.23 को इसकी जाँच अन्यत्र से कराने का निदेश दिया है, परन्तु अनुसंधानकर्त्ता गंभीर नहीं है;	एफ०एस०एल०, राँची द्वारा भेजे गये प्रदर्श को वापस किया गया है। अनुसंधानकर्त्ता द्वारा इस कांड का गंभीरतापूर्वक अनुसंधान किया जा रहा है एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस कांड की जाँच विशेष जाँच दल से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वादी के प्रतिवेदन के आधार पर कांड अंकित कर विधिसंगत, तथ्यपूर्ण, तकनीकी साक्ष्यानुसार निष्पक्ष तरीके से अनुसंधान की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–47/2023–7004/ राँची, दिनांक– 17/12/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2211, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

06

माननीय स०वि०स० श्री विकास कुमार मुण्डा द्वारा दिनांक 18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–49 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 2003 मन बुण्डु अनुमण्डल की स्थापना हुई थी जिसमें आज भी व्यवहार न्यायालय, कारागार, उपकोषागार, अनुमण्डल पशुपालन कार्यालय, अनुमण्डल शिक्षा कार्यालय, अनुमण्डल कृषि कार्यालय एवं अनुमण्डल आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना नही हुई है जिस संबंध में मेरे पहल पर कार्मिक विभागीय पत्रांक–1632 द्वारा दिनांक–18.03.2023 को सभी विभागों को इस विषय पर कार्यवाही का अनुरोध किया था परन्तु इसका धरातल पर परिणाम शून्य है,	इस संबंध में संबंधित विभागों से कृत् कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कार्मिक विभागीय पत्रांक–6993 दिनांक–15.12.2023 के द्वारा अनुरोध किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि इसी विषय पर मेरे द्वारा कार्मिक विभाग को मेरे पत्रांक संख्या–674 द्वारा दिनांक–30.10.23 को अनुस्मारक पत्र भेजा गया था जिसपर अबतक इसी वर्ष कार्य प्रारंभ करने योग्य कार्यवाही नहीं हो पाई है,	माननीय सदस्य के प्रासंगिक पत्र की प्रति संबंधित विभागों को कार्मिक विभागीय पत्रांक–6987 दिनांक–14.12.2023 के द्वारा प्रेषित करते हुए इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि अनुमण्डल के सारे कार्यालयों के पूरा ना होने से मजबूरन लोगों को अनुमडलीय कार्य हेतु ही राँची ही जाना पड़ता है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बुण्डू अनुमण्डल खण्ड–01 में वर्णित कार्यालयों की स्थापना करने के साथ रिक्त पदों को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–26/2023 का०–7054/राँची, दिनांक– 16/12/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–2220 दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2023
(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव।

श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–45 का उत्तर प्रतिवेदन (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा हस्तांतरित प्रश्न) :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देश की आजादी की लड़ाई में झारखण्ड के बिरसा मुण्डा, सिदो–कान्हू, नीलांबर–पीताम्बर, तेलांगा खड़िया, रघुनाथ महातो, पांडेय गण्पत राय, टिकैत उमरांव, शेख भिखारी जैसे सैकड़ो वीर शहीदों का महत्पूर्ण योगदान था,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इन वीर शहीदों के वंशज झारखण्ड में आज भी उपेक्षित एवं सामान्य जीवनयापन करने को मजबूर है,	आंशिक स्वीकारात्मक। संबंधित जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड के वीर शहीदों के वंशजों को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी, गृह निमार्ण हेतु जमीन की बंदाबस्ती, विभिन्न योजनाओं के तहत आवास, राशन कार्ड, जन–वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि प्रदान की गई है।
3	क्या यह बात सही कि इन वीर शहीदों के वंशजों को झारखण्ड सरकार द्वारा कोई विशेष सुविधा या यहाँ के सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जाता है,	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक– 7044, दिनांक–15.12.2023 से निम्नवत उत्तर सामग्री प्राप्त है:– झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत राज्य सरकार की सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली नियुक्तियों में निम्नवत् आरक्षण का प्रावधान है:– (क) अनुसूचित जाति–10 प्रतिशत, (ख) अनुसूचित जन जाति–26 प्रतिशत, (ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)–08 प्रतिशत, (घ) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)–06 प्रतिशत, (ड) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)–10 प्रतिशत इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों हेतु नियोजन में 04 प्रतिशत, महिलाओं हेतु 05 प्रतिशत, खेलकूद कोटा हेतु 02 प्रतिशत तथा आदिम जनजाति हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रावधानित है।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम के इन वीर शहीदों के वंशजो को विशेष सुविधा या यहाँ के सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की इच्छा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों	वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स० (अ०सू०)–09/2023–6028/ राँची, दिनांक– 17/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2224, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2023
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर सामग्री।

8

1995
17/12/23

<table>
<tr><td>क्र0</td><td><u>प्रश्नकर्त्ता</u>
श्री जयप्रकाश भाई पटेल,
माननीय सदस्य, विधान सभा।</td><td colspan="3"><u>उत्तरदाता</u>
श्री सत्यानन्द भोक्ता
माननीय मंत्री,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि राज्य स्थापित/संचालित औधोगिक संस्थान में 75 प्रतिशत बेरोजगार विस्थापित विस्थापित प्रभावित तथा स्थानीयों को नियोजन में प्राथमिकता सुनिश्चित की जायेगी;</td><td colspan="3">स्वीकारात्मक ।
झारखण्ड के स्थानीय बेरोजगार युवक/युवतियों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नियोजन में आरक्षण देने हेतु राज्य सरकार '' झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली, 2022'' का गठन किया, जो दिनांक–12 सितम्बर, 2022 से सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के संकल्प के आधार पर राज्य में स्थापित/संचालित औधोगिक प्रतिष्ठानों में उक्त निदेश का पालन नहीं किया जा रहा है;</td><td colspan="3">अस्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में स्थापित औधोगिक प्रतिष्ठानों द्वारा आज तक की गई स्थानीय विस्थापितों प्रभावितों को दी गई नियोजन की समुचित सूची उपलब्ध कराते हुए निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले औधोगिक प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td colspan="3">'' झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली, 2022'' के प्रभावी होने की तिथि से दिनांक–14.12.2023 तक निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों द्वारा निम्न कार्य किए गए है :–</td></tr>
<tr><td>ऑफर लेटर (जारी किए गए)</td><td>योगदान/कार्यरत</td><td>विस्थापित</td></tr>
<tr><td>11030</td><td>6047</td><td>236</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली अनुपालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियोजनालयों द्वारा निम्न कार्य किए गए है:–</td></tr>
<tr><td>निर्गत नोटिस की संख्या</td><td>औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संस्थानों/नियोजकों की संख्या जिन पर शास्ति अधिरोपित किया गया</td><td>शास्ति के रूप में वसूल की गई राशि</td></tr>
<tr><td>2420</td><td>134</td><td>रू0 10,50,000/–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली, 2022 के नियम 4 (ii) के अनुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत स्थानीय नियोजन के मानदंड को नियमावली अधिसूचित होने के तिथि से 3 वर्षो तक किया जाना है।</td></tr>
</table>

17/12/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–62 / 2023श्र0नि0–1995 राँची, दिनांक–17/12/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2183, दिनांक–11.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/2023

सरकार के अवर सचिव।

श्री लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–07 का उत्तर सामग्री। 1992 16/12/2023

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य से प्रतिवर्ष 10 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक राज्य से बाहर देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों में काम करने के लिए जाते है तथा प्रतिवर्ष 5 हजार से ज्यादा श्रमिक का मृत शरीर राज्य में आता है;	**अस्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य के श्रमाधान पोर्टल पर दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाने हेतु 1,55,259 श्रमिक द्वारा अबतक निबंधन कराया गया है। विदेश में काम करने हेतु जाने वाले श्रमिकों की आव्रजन कार्यालय द्वारा मंजूरी दी जाती है, जो केन्द्र सरकार के अधीन है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 132 प्रवासी श्रमिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है, कि प्रवासी श्रमिकों के निबंधन उनके कल्याण एवं सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रकोष्ठ बन गया है जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह से निष्क्रिय है;	**अस्वीकारात्मक।** प्रवासी मजदूरों की सहायता हेतु राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष सक्रिय रूप से संचालित है। मार्च 2023 से 14 दिसम्बर, 2023 तक नियंत्रण कक्ष द्वारा किए गए कार्य की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	नियंत्रण कक्ष द्वारा किये गये कार्य	संख्या
1	पंजीकृत कॉल की संख्या	1,25,596
2	दूसरे राज्यों से श्रमिकों की मृत्यु संबंधी सूचना	132
3	दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु की संख्या	77
4	श्रमिकों की सामान्य मृत्यु की संख्या	55
5	उक्त अवधि में बकाया भुगतान की प्राप्त शिकायतें	153
6	उक्त अवधि में बकाया राशि का भुगतान	1,67,08,755 रूपये
7	उक्त अवधि में लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	699
8	दूसरे राज्ये से घर वापसी करने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या	394
9	दूसरे राज्यों से घर वापसी करने वाले बच्चों की संख्या	33
10	विदेशों से घर वापसी करने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या	107
11	फोन कॉल के माध्यम से निबंधित श्रमिकों की संख्या	20,767

3	क्या यह बात सही है कि मृतक प्रवास श्रमिकों को मुआवजा राशि के रूप में दुर्घटना की स्थिति में 1.5 लाख एवं अन्य स्थितियों में मृतक के आश्रितों को 50 हजार रूपया मात्र दिया जाता है जबकि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वज्रपात सर्पदंश आदि मामलों में मृतक के परिवार को 4 लाख का भुगतान किया जाता है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** निबंधित प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना में 2 लाख रूपये की सहायता उनके आश्रित को प्रदान की जाती है। अनिबंधित प्रवासी श्रमिक की दुर्घटनस में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 1.5 लाख रूपये की सहायता दी जाती है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में पार्थिव शरीर पैतृक आवास तक लाने हेतु 50,000/– (पचास हजार) रूपये की सहायता राशि प्रदान किया जाता है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त विशेष प्रकोष्ठ को प्रभावी एवं कार्यशील बनाते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की भाँति प्रवासी श्रमिकों को भी मृत्यु की स्थिति में 4 लाख रूपये मुआवजा का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की भांति प्रवासी श्रमिकों को मृत्यु की स्थिति में सहायता प्रदान करने का मामला विचाराधीन नहीं है।

14/12/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–63 / 2023श्र0नि0– 1992 **राँची, दिनांक–** 16/12/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2214, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2023

सरकार के अवर सचिव।

(10)

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा अपने व्यय से जातीय जनगणना कराते हुए वहाँ के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों को आबादी के अनुरूप कुल 75 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून राज्य में पारित कर लागू किया गया है;	विभागीय पत्रांक–7010, दिनांक–15.12.2023 के द्वारा बिहार सरकार से वांछित सूचना मांगी गई है। सूचना अप्राप्त है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार सरकार के तर्ज पर अपने व्यय पर जातीय जनगणना कराते हुए राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों का आरक्षण उनके आबादी के अनुपात में बढ़ाना चाहती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित "**झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022**" झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.11.2022 को पारित किया गया है। सम्प्रति अग्रतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–62 / 2023 का0– 7060 / रांची, दिनांक– 17.12.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–2207, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.23

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(11)

श्री मनीष जयसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर

प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 का गठन सरकार के अधिसूचना संख्या–3418 दिनांक–27.08.2011 अन्तर्गत की गई है जिसके माध्यम से राज्य में अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति अन्तर्गत लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान की गई है जबकि उक्त पद पर राज्य में दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 24 अन्तर्गत अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक। Cr.PC की धारा 24 के तहत लोक अभियोजको की नियुक्ति का प्रावधान है। Cr.PC की धारा 24 (6) के तहत राज्य में **Public Prosecutor** के लिए **Regular Cadre** बराया गया है तथा इससे संबंधित झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 अधिसूचित है। आवश्यकता अनुरूप Cr.PC की धारा 24 के अन्य प्रावधानों के तहत अर्हता प्राप्त अधिवक्ताओं को झारखण्ड उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा सिविल न्यायालयों के लिए विभिन्न पदों का निर्धारण कर प्रक्रिया के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है।
2	क्या यह बात सही कि सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पुनरू राज्य में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक सहित कई अन्य पदों पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति से संबंधित नियमावाली **The Law Officer (Engagement) Rule 2018** का गठन की गई जिसके अन्तर्गत सरकार सर्च कमिटी के माध्यम से राज्य के सभी न्यायालयों में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक सहित अन्य सभी पदों पर योग्य अधिवक्ताओं के नियुक्त करेगी परंतु सरकार की लापरवाही में अबतक राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। जिसपर झारखण्ड उच्च न्यायालय ने **W.P. (PIL) NO-3735/2020** में आपने पारित न्यायादेश अन्तर्गत 03 माह के अन्दर उक्त पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकार द्वारा उक्त पद पर नियुक्ति लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। Cr.PC की धारा 24 के प्रावधानों के तहत विभिन्न न्यायालयों में लोक अभियोजको की नियुक्ति हेतु **'The Jharkhand Law Officers (Engagement) Rules 2018'** अधिसूचित है। जिसमे तहत आवश्यकतानुरूप Cr.PC की धारा 24 के अन्य प्रावधानों के तहत अर्हता प्राप्त अधिवक्ताओं को झारखण्ड उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा सिविल न्यायालयों के लिए विभिन्न पदों का निर्धारण कर प्रक्रिया के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के प्रासंगिक वाद में अंकित तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर 107 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गयी है तथा आवश्यकता के अनुसार **'The Jharkhand Law Officers (Engagement) Rules 2018'** के प्रावधानों के तहत विभिन्न न्यायालयों में समय–समय पर ऐसी नियुक्तियाँ की जाती है तथा पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक की सेवा विस्तार की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के व्यवहार न्यायालयों में खण्ड–02 में वर्णित त्नसमे अन्तर्गत अधिवक्ता वर्ग से लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपयुक्त कंडिका 01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–06/वि०स०–05/2023–7002/ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2240, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

(12)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान थाना प्रभारी मुफसिल, गोड्डा के कार्यकाल में नेमोतरी, नोनमाटी कन्हभारा जमीन सौदापुर, दुवराजपुर, बंका, जोगनाडीह घाटों से अवैध बालू के उठाव में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है,	अस्वीकारात्मक। गोड्डा जिला अन्तर्गत खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जिला टास्क फोर्स गठित है। जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा जिला अन्तर्गत अवस्थित बालू घाटों से बालू के अवैध उठाव एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निरंतर छापामारी की जाती है। गोड्डा मुफसिल थाना क्षेत्रान्तर्गत मौजा घाटबंका, दुबराजपुर, सैदापुर, ढ़ोढ़री, दरघट्टा, सनातन, उरकुसिया, सनौर, कोरियाना आदि घाटों में निरीक्षण के क्रम में अवैध मामले पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वर्तमान थाना प्रभारी के द्वारा बालू के अवैध परिवहन की कार्रवाई के क्रम में कई बार लगातार टास्क फोर्स टीम के साथ समन्वय स्थापित कर छापामारी की कार्यवाही की गई है तथा बालू के अवैध परिवहन के मामलों में कुल 13 कांड दर्ज किये गये हैं।
2	क्या यह बात सही है कि भू–माफिया के प्रभाव में वर्त्तमान थाना प्रभारी काम कर रहे है, जिसका उदाहरण उपायुक्त कार्यालय गोड्डा में राजस्व निबंधन विभाग के पत्रांक–9/आरोप–गोड्डा–159/202335, दिनांक–05.10.23 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई है,	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, गोड्डा एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदनानुसार ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा आरक्षी अधीक्षक, गोड्डा को पत्रांक–**JH/G/106/23** , दिनांक–20.11.23 के माध्यम से थाना प्रभारी के कार्यशैली से अवगत कराया था जिसपर अबतक कोई कार्यवाही नहीं की गई है,	अस्वीकारात्मक। माननीय सं०वि०स० के पत्रांक–**JH/G/106/23**, दिनांक–20.11.23 में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा से कराई गई है। जाँच के क्रम में यह पाया गया है कि पत्र में उल्लेखित तथ्यों से संबंधित मामलों पर वर्तमान थाना प्रभारी, गोड्डा मुफ्फसिल द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर विधिवत् कार्रवाई की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1,2,3 के आलोक में थाना प्रभारी मुफसील, गोड्डा पर विभागीय कार्यावाही करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/विस–15/2023-6027/ राँची, दिनांक– 17/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2178, दिनांक–11.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(13)

माननीय स०वि०स० श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा दिनांक 18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्यान्तर्गत विभिन्न विभागों के सभी संवर्गों में संविदा/अनुबंध/आउट सोर्सिंग कर्मी हजारों की संख्या में कार्य करते रहे है;	**अस्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 से लेकर आजतक राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों के भिन्न–भिन्न संवर्गों में राज्य के नियमित स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्ष 2020 से स्थायी नियुक्तियाँ कम और संविदा कर्मी व आउट सोर्सिंग द्वारा ज्यादा कर्मियों से कार्य लिया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।**
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित संविदा/अनुबंध कर्मी व आउट सोर्सिंग कर्मियों को राज्य सरकार स्थायी समायोजन का विचार कर रही है;	**अस्वीकारात्मक।**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतलाना चाहेगी कि वर्ष 2020 से लेकर अबतक कितने संविदा/अनुबंध कर्मी व आउटसोर्सिंग कर्मियों के माध्यम से कार्यरत है?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–7002 दिनांक–15.12.2023 द्वारा सभी विभागों/प्राधिकारों से प्रश्नगत मामले में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–28/2023 का०–7053/राँची, दिनांक– 16/12/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–2244 दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2023.

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव।

श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के जेलों में कई ऐसे बंदी है जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है परन्तु इन कैदियों को रिहा करने के लिए होने वाली बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण वे लोग जेल से बाहर नहीं आ पा रहे है;	अस्वीकारात्मक। आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों को समय पूर्व कारामुक्ति के संबंध में वर्ष–2007 से अबतक SSRB की बैठक के उपरांत कुल–1831 बंदियों को कारामुक्त किया गया है, जिसकी तिथिवार विस्तृत विवरणी संलग्न है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समय पर बोर्ड की बैठक कर इन बंदियों को रिहा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–11/2023–6018/ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2241, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

NO. OF RELEASED PRISONERS THROUGH STATE SENTENCE REVIEW BOARD FROM 09.07.2007 TO TILL DATE

Sl. No.	Year	Meeting Date	No. of Released Prisoners	Total released prisoners
1	2007	09.07.2007	63	63
2	2008	01.02.2008	104	149
3		04.08.2008	45	
4	2009	24/25.02.2009	33	73
5		17/18.07.2009	23	
6		17.09.2009	1	
7		06.10.2009	16	
8	2010	30.03.2010/05.04.2010	57	107
9		29.07.2010/ 07.08.2010	50	
10	2011	20/25/27.05.2011	134	233
11		13/20.10.2011	99	
12	2012	23.03.2012	52	94
13		07.08.2012	42	
14	2014	07.02.2014	53	78
15		20.06.2014	25	
16	2016	03.03.2016	5	150
17		13-20.05.2016	105	
18		15.09.2016	40	
19	2017	30.05.17	78	78
20	2018	09.04.2018	221	349
21		25.09.2018	128	
22	2019	31.10.2019	139	139
23	2020	17/20.07.2020	79	79
24	2021	04.12.2020/25.02.2021	26	116
25		25.08.2021	90	
26	2022	30.03.2022	21	72
27		07.10.2022	51	
28	2023	28.03.2023	24	51
29		24.08.2023	27	
		Total-	**1831**	**1831**

(15)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–42 का

उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, राज्य की 90% (प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों तथा 15% शहरी क्षेत्रों की **LAW and Order** सहित अन्य मामलों की सुरक्षा व्यवस्था राज्य के गृह रक्षक संभालते है;	अस्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि, खंड–1 में वर्णित गृह रक्षकों को राज्य पुलिस के समतुल्य मानते हुए सभी सुविधाएं (वेतन भत्ता एवं अन्य) दिये जाने से संबन्धित **Honourable Supreme Court** की **Order** का भी अवहेलना की जा रही है;	झारखण्ड राज्य के गृह रक्षकों को राज्य पुलिस आरक्षी के समतुल्य भत्ता से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की विधिक समीक्षा की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–2 में **Appex Court** द्वारा पारित न्यायदेश का **Couepliance** कर गृह रक्षकों के साथ इंसाफ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (अ०सू०)–28/2023–6997/ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2235, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

16

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–18 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता **डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,** माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता **श्री बन्ना गुप्ता,** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–5, 6 एवं 7 दिसम्बर 2023 को आए चक्रवात मिचौंग से झारखण्ड सहित पूरे देश में लगातार बेमौसम बारिश होने के कारण किसानों के फसलों को भारी नुकसान हुआ है ;	विभागीय पत्रांक–880(अनु०), दिनांक–14.12.2023 द्वारा राज्य के सभी उपायुक्त से उत्तर प्रतिवेदन की माँग की गई है। प्रतिवेदन अप्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में धान की फसल काटने के लिये तैयार थी या फिर काटकर किसानों के द्वारा खेत में ही रखा गया था, जो लगातार बारिश के कारण भींग कर खराब होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है ;	
3	क्या यह बात सही है कि उक्त चक्रवाती बारिश के कारण आलू, सरसों अरहर आदि फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है ;	
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार किसानों को हुए नुकसान का अविलंब सर्वेक्षण कराकर उचित मुआवजा देने तथा कृषि ऋण माफ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के दिशा–निर्देश के आलोक में उचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / विधायी(अल्प–सूचित)–59 / 2023–आ०प्र०–886 / राँची, दिनांक–16.12.2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2023

(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–47 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के पतरातु को अनुमंडल सृजन करने का प्रस्ताव पर प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त है और हजारीबाग जिला के बड़कागाँव को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा संबंधित विभाग को नहीं भेजा गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बड़कागाँव और पतरातु खनन क्षेत्र और औद्योगिक होने के फलस्वरूप विशेष महत्ता रखता है तथा वहाँ अपराधिक घटनाएं होती रहने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या बनी रहती है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग जिला के बड़कागाँव एवं रामगढ़ जिला के पतरातु को अनुमण्डल का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	"अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिला के उपायुक्त के अनुशंसित प्रस्ताव पर प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।" प्राप्त प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् 'पतरातू' को अनुमण्डल का दर्जा देने के बिन्दु पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–27/2023 का.–7052/राँची, दिनांक– 16/12/2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप संख्या–2222 दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2023
(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव।

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पुछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–15 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो के द्वारा वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड के कुल 1395 बच्चे–बच्चियाँ लापता है, जिनमें 652 लड़के एवं 743 लड़कियाँ है,	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में वर्ष 2022 में लापता लड़कों की संख्या– 262 एवं लापता लड़कियों कि संख्या– 432 है, अर्थात् कुल लापता (लडके एवं लड़कियों) की संख्या– 692 है। उनमें से कुल बरामद लड़कों की संख्या– 210 एवं बरामद लड़कियों कि संख्या– 350 है, अर्थात् कुल बरामद (लडके एवं लड़कियों) की संख्या– 560 है। वर्ष 2022 में अबतक बरामद नहीं हुए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या– 134 हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत मनातू प्रखण्ड के पंचायत डुमरी के ग्राम–केदल, चिलबिलियाटांड़, चिड़ीखुर्द, उलवार आदि गॉवों के घरों में लुप्तप्राय परहिया जनजाति की महिलाएं तथा अबोध बच्चे पाए जाते है, लगभग सभी पुरूष, बच्चे–बच्चियाँ गॉवों से बाहर है,	मनातू थानान्तर्गत डुमरी पंचायत के ग्राम केदल, चिलबिलियाटांड़, चिड़ीखुर्द, उलवार के गाँवों में परहिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिन्हें मनातू अंचल के द्वारा जे०एस०एल०पी०एस० संस्था के माध्यम से मानव तस्करी रोकने हेतु जागरूकता रैली निकालकर जागरूक किया जा रहा है एवं उक्त गाँवों के सभी पुरूष बच्चे–बच्चियाँ गाँव से बाहर नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानव तस्कर सक्रिय है तथा बच्चे बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर अन्य राज्यों में ले जाकर बेच दिया जाता है एवं बाद में इनका कुछ पता नहीं चल पाता है,	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मानव तस्करी से जुड़े मामलों का निष्पादन फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कराने एवं पूर्व की भॉति सी०आई०डी० के द्वारा ऑपरोशन मुस्कान चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों	इस संबंध में पुलिस आदेश संख्या–57/2013 निर्गत है। ओदश के तहत सभी जिलों में कार्यरत जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो में लापता व्यक्ति ब्यूरो गठित है तथा सभी लापता व्यक्तियों के लिए **FIR** दर्ज कर तुरंत अनुसंधान प्रारंभ करना है। सभी जिलों में **Anti Human Trafficking Unit** भी गठित है। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में लापता लड़के–लड़कियों की निगरानी हेतु नियमित रूप से निम्न प्रकार की कार्रवाई की जाती हैः– 1. अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जिलों से बच्चों के लापता होने की सूचना को **Tracking the missing child portal** में **Upload** किया जाता है। 2. बरामदगी संबंधी सूचना मिलते ही **Rescue Team** बनाकर बरामद किया जाता है। 3. सभी जिलों में लापता बच्चें–बच्चियों से संबंधित मामलों में ससमय सभी तरह की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उपर्युक्त माध्यम से मानव तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान उल्लिखित बिन्दुओं की पुनः समीक्षा कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक – 11/वि०स०–10/2023.....6024...../ राँची, दिनांक– 17/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2210/वि०स०, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(20)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–43

अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तरदाता – माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि ईटकी प्रखण्ड में पदस्थापित पदाधिकारी/पर्यवेक्षक/अन्य कर्मी प्रतिनियुक्ति में कार्यरत है जिनका मौलिक पदस्थापन अन्य प्रखण्ड में है,	**आंशिक स्वीकारात्मक।** ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–6856 दिनांक–21.10.2008 द्वारा ईटकी प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी –01, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी–01, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक–01, प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल–01, लिपिक–सह–टंकक–03, आदेशपाल–02, चौकीदार–सह–रात्रि प्रहरी–01, मोटर चालक–01 का पद सृजित है। उप विकास आयुक्त, राँची के प्रतिवेदनानुसार जनसेवक, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद ईटकी प्रखण्ड में सृजित नहीं है। ईटकी प्रखण्ड में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी का पद स्वीकृत है एवं पदाधिकारी कार्यरत है। झारखण्ड शिक्षा परियोजना के तहत प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, ईटकी, राँची में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/लेखापाल/कनीय अभियंता/आदेशपाल का पद स्वीकृत है तथा उन पदों पर पदाधिकारी/कर्मी कार्यरत है। असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची के पत्रांक–882 दिनांक– 11.03.2023 के अनुसार निम्नवत् स्थिति है :–
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार से निर्गत पत्रांक–6856 राँची/दिनांक–21.10.2008 के आलोक में ईटकी प्रखण्ड स्थापना में पदाधिकारी/पर्यवेक्षक/अन्य कर्मी का पद सृजन किया गया तथा उक्त कर्मी अबतक ईटकी प्रखण्ड में प्रतिनियुक्ति पर है और प्रखण्ड गठन से अबतक यहाँ स्थायी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक/ अन्य कर्मी नहीं है,	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ईटकी प्रखण्ड में स्थायी रूप से पदाधिकारी, पर्यवेक्षकों एवं अन्य कर्मियों का स्थापना करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों	उपर्युक्त खण्ड में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
चि0 पदा0	2	1	1
लिपिक	1	0	1
ए0एन0एम0	2	2	0
परिधापक	1	0	1
LT	1	0	1
फर्मासिस्ट	1	0	1
चतुर्थ वर्ग	2	0	2

जिन विभागों का पद ईटकी प्रखण्ड में सृजित नहीं है उन पदों के सृजन की कार्रवाई संबंधित विभागों से अपेक्षित है।

16/12/2023

(अरूण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–04–वि0स0–24 / 2023 / ग्रा0वि0– 5358 राँची, दिनांक– 16.12.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप–2221 दिनांक–13.12.2023 के क्रम में / उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उनके पत्रांक–6986 दिनांक–14.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–04–वि0स0–24 / 2023 / ग्रा0वि0– 5358 राँची, दिनांक– 16.12.2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2023

सरकार के अवर सचिव।

(21)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11 का उत्तर सामग्री।

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** **श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने के उपरांत स्थानीय को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारनियोजन पोर्टल का निर्माण कराया गया है जिसपर अबतक 5860 नियोजन द्वारा मात्र 5500 रिक्तियाँ अधिसूचित की गई है;	**स्वीकारात्मक।** झारनियोजन पोर्टल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के द्वारा दिनांक–17.03.2023 का किया गया। जिसके माध्यम से अबतक 6596 निबंधित नियोजकों के द्वारा कुल 10627 रिक्तियॉ अधिसूचित की गई है।
2	क्या यह बात सही है, कि राज्यान्तर्गत नियोजनालयों में 7,30,000 युवक–युवतियाँ निबंधित है;	**स्वीकारात्मक।** दिनांक–15.12.2023 तक राज्य के नियोजनालयों में निबंधित युवक–युवतियॉ की संख्या 7,74,153 है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बनाये गये कानून का दृढ़ता से अनुपालन कराकर झारनियोजन पोर्टल पर निबंधित नियोजको द्वारा अधिसूचित रिक्तियों को बढ़ाने तत्पश्चात् राज्य के नियोजनालयों में निबंधित युवक–युवतियाँ को रोजगार दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	''झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली, 2022'' का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करने के क्रम में (दिनांक–15.12.2023 तक) निम्न कार्य किए :–

निबंधित नियोजको की संख्या	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	जीवित (Live) रिक्ति की संख्या
6596	**10627**	**49**

ऑफर लेटर (जारी किए गए)	योगदान / कार्यरत
11030	**6047**

निर्गत नोटिस की संख्या	संस्थानों / नियोजको की संख्या जिन पर शास्ति अधिरोपित किया गया	शास्ति के रूप में वसूल की गई राशि।
2420	134	रू0 10,50,000 / –

झारनियोजन पोर्टल में यह व्यवस्था की गई है कि जीवित (Live) रिक्ति के विरूद्ध रोजगार पोर्टल पर निबंधित बेरोजगार युवक–युवतियों स्वयं आवेदन कर नियोजन प्राप्त कर सकते है।

झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली, 2022 के नियम 4 (ii) के अनुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत स्थानीय नियोजन के मानदंड को नियमावली अधिसूचित होने के तिथि से 3 वर्षों तक किया जाना है।

17/12/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–64 / 2023श्र0नि0–1997 राँची, दिनांक– 17/12/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2216, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/2023

सरकार के अवर सचिव।

(22)

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य के सभी थानों के प्रवेश व निकास द्वार, मुख्य द्वार, सभी लाकअप, गलियारे, स्वागत कक्ष व लॉबी, बरामदे, आउट हाऊस, इंस्पेक्टर कक्ष, दरोगा कक्ष, पुलिस स्टेशन परिसर के सामने, शौचालय के बाहर एवं ऑन ड्यूटी अधिकारी के कक्ष में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाने का निर्देश, झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है ;	स्वीकारात्मक। प्रासंगिक न्यायादेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित है।
2	क्या यह बात सही है, कि प्रश्न खण्ड–1 में वर्णित कार्य हेतु कुल 606 थानों में 334 थानों का चयन किया गया है जिसमें अभी तक सी०सी०टी०वी० नहीं लगाया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र सभी थानों में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	सररकार द्वारा कुल 334 थानों के लिए 5258 सी०सी०टी०वी० लगाने हेतु योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। कार्य की जिम्मेवारी झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची को दी गई है। झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची द्वारा क्रियान्वयन के लिए एजेंसी की चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक – 03/वि०स० (अ०सू०)–813/2023 ......6999...../ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि :– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2227/वि०स०, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री समीर कुमार महान्ती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, प्रदेश के कई ग्रामीण तथा कुछ शहरी थानों में महिला कांस्टेबल पदस्थापित नहीं होने के कारण महिला संक्रान्त मामलों में थाना प्रभारियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है;	जिलों के अधिकांश थानों में महिला आरक्षी पदस्थापित/प्रतिनियुक्त है। थानों में थाना प्रभारी के मांग के आधार पर आवश्यकतानुसार महिला आरक्षियों को पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जाता है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बहरगोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत थनाओं के साथ–साथ राज्य के अन्य थानों में महिला कांस्टेबल का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले थाना प्रभारियों से महिला आरक्षी की प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है। आवश्यकता पड़ने पर महिला आरक्षियों को पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–25/2023–6025/ राँची, दिनांक– 17/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2230, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

24

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–41 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता **श्री अमित कुमार यादव,** माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता **श्री बन्ना गुप्ता,** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखण्ड/थाना के ग्राम अलगडीहा निवासी श्रीकांत यादव पिता स्व० देब नारायण यादव की मृत्यु दिनांक–10.08.2014 को बराकर नदी में डूबने से हुई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि घटना के 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी अबतक मृतक के परिजन को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक–1462/रा०, दिनांक–14.12.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय संकल्प संख्या–969, दिनांक–25.10.2018 द्वारा घोषित विशिष्ट स्थानीय आपदा में नदियों/डोभा/जलप्रपात में डूबने से होने वाले जानमाल की क्षति के निमित्त अनुदान की राशि प्रभावितों को उपलब्ध कराने का प्रावधान है साथ ही संकल्प में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। चूँकि यह घटना विभागीय संकल्प निर्गत होने से पूर्व की है। अतः इस स्थिति में मुआवजा राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में खण्ड(1) में वर्णित मृतक के परिजन को मुआवजा राशि का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधायी(अल्प–सूचित)–58/2023–आ०प्र०–887/राँची, दिनांक–16.12.2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2023

(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

(25)

1996
17/12/2023

श्री उमाशंकर अकेला, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 का उत्तर सामग्री।

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्नकर्त्ता
श्री उमाशंकर अकेला,
माननीय सदस्य, विधान सभा।</th><th>उत्तरदाता
श्री सत्यानन्द भोक्ता
माननीय मंत्री,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार।</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिला स्थित बरही प्रखण्ड के रियाडा (RIDA) में संचालित सभी उद्योग के द्वारा "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम–2021" के तहत् 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जानी है;</td><td>हजारीबाग जिला स्थित बरही प्रखण्ड के रियाडा (RIDA) में संचालित सभी उद्योग के द्वारा "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम–2021" का अनुपालन किया जाना है।
उक्त अधिनियम की धारा 4 (i) के तहत 40,000 हजार तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले सभी पदों के विरूद्ध 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
रियाडा (RIDA) क्षेत्र में संचालित सभी 06 उद्योगों के द्वारा " झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021" के तहत् झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन कराया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे उद्योग जो "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम–2021" का पालन नहीं कर रहे है पर कार्रवाई करते हुए, स्थानीय लोगों का रोजगार सुनिश्चित करना है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>झारखण्ड सरकार द्वारा " झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021" का अनुपालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियोजनालयों द्वारा निम्न कार्य किए गए है:–
झारखण्ड
<table>
<tr><th>निर्गत नोटिस की संख्या</th><th>औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संस्थानों /नियोजकों की संख्या जिन पर शास्ति अधिरोपित किया गया</th><th>शास्ति के रूप में वसूल की गई राशि</th></tr>
<tr><td>2420</td><td>134</td><td>रू0 10,50,000/–</td></tr>
</table>
हजारीबाग
<table>
<tr><th>निर्गत नोटिस की संख्या</th><th>औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संस्थानों /नियोजकों की संख्या जिन पर शास्ति अधिरोपित किया गया</th><th>शास्ति के रूप में वसूल की गई राशि</th></tr>
<tr><td>82</td><td>03</td><td>रू0 25,000/–</td></tr>
</table>
झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली, 2022 के नियम 4 (ii) के अनुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत स्थानीय नियोजन के मानदंड को नियमावली अधिसूचित होने के तिथि से 3 वर्षो तक किया जाना है।</td></tr>
</table>

17/12/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–66 / 2023श्र0नि0– 1996 राँची, दिनांक– 17/12/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2217, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/12/2023

सरकार के अवर सचिव।

(26)

श्री ढुलु महतो, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 36 की सूचना।

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तरदाता माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि बाघमारा प्रखण्ड राज्य में सबसे बड़ा प्रखण्ड है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि बाघमारा प्रखण्ड का विघटित कर नए प्रखण्ड राधानगर एवं राजगंज के सृजन की वर्षों से मांग की जा रही है, जिसकी संचिका सरकार के पास लम्बित है;	क) प्रस्तावित राजगंज प्रखण्ड की जनसंख्या– 99325, पंचायतों की संख्या– 18 एवं भूमि की उपलब्धता 01.50 एकड़ है, जो विभागीय संकल्प सं0– 5495 दिनांक– 16.10.2015 द्वारा प्रखण्ड सृजन हेतु आबादी 01.25 लाख तथा विवाद रहित भूमि कम से कम 05 एकड़ की निर्धारित अहर्त्ता को पूर्ण नही करता है। ख) राधानगर प्रखण्ड सृजन हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, हजारीबाग से प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के समीक्षोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर विभागीय पत्रांक– 1071 दिनांक– 16.03.2021, पत्रांक–2460 दिनांक–06.08.2021 तथा पत्रांक– 5347 दिनांक– 16.12.2023 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से प्रतिवेदन की मांग की गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राधानगर प्रखण्ड के सृजन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 2 के अनुसार

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 4– वि0स0– 21/2023/5357 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 16/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप– 2219, दिनांक– 13.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4– वि0स0– 21/2023/5357 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 16/12/2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के वरीय आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/विशेष सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4– वि0स0– 21/2023/5357 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 16/12/2023

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 03, ग्रामीण विकास विभाग/उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2023
सरकार के अवर सचिव।

श्री मनीष जयसवाल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक-18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-29 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा उड़ान योजनांतर्गत हजारीबाग में हवाई अड्डे निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसे वर्ष 2024 में पूरा होने का समय-सीमा निर्धारित है;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में गैर सरकारी संकल्प के जबाब में सरकार द्वारा ज्ञापांक-936, दिनांक-22.12.2022 के आलोक में खण्ड-01 में वर्णित हवाई अड्डा के निर्माण हेतु यथाशीघ्र भूमि अधिग्रहण करने की बात कही गई थी, परन्तु उक्त संबंध में सरकार के लापरवाही में अबतक भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई कार्रवाई नही की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक । AAI तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक-11.04.2019 को नगवाँ स्थित हवाई पट्टी का निरीक्षण किया गया, तथा AAI द्वारा OLS सर्वे भी करवाया गया था । OLS सर्वे के अनुसार AAI द्वारा सूचना दी गई कि वर्तमान में हवाई अड्डा में Stone Mining Pits होने के कारण Runway का विस्तार नही किया जा सकता है (AAI का पत्र संलग्न) । इसलिए वैकल्पिक रूप में नये स्थल का चयन किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके लिये कम-से-कम 310 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। वित्तीय प्रबंधन के आलोक में भूमि अधिग्रहण में होने वाली व्यापक राशि को ध्यान में रखते हुये निर्णय प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में हवाई सेवा शुरू होने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ हवाई सेवा हेतु अन्य हवाई अड्डे पर निर्भरता समाप्त होगी;	आंशिक स्वीकारात्मक ।

16/12/23

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित एवं राज्यहित में खण्ड-01 में वर्णित हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों;	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। नये स्थल के चयन होने के उपरान्त ही अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(नागर विमानन प्रभाग)

ज्ञापांक-ना०वि०-XIII-07/2022 866 /राँची, दिनांक- 16/12/2023

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या-2203 वि०स०, दिनांक-13.12.2023 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एंवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/23

(कैप्टन एस० पी० सिन्हा)
निदेशक, उड़ान संचालन

(28)

श्रीमती पुर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला अंतर्गत कुल–56 थाना एवं ओ०पी० पर मात्र एक यातायात थाना, धनबाद क्रियाशील है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि धनबाद में हर्ल, भा०को०को०लि०, ई०सी०एल०, टाटा टिस्को, ए०सी०सी०, सी०एम०एफ०आर०आई०, एम०पी०एल० मैथन आदि बड़ी–बड़ी औद्योगिक कंपनियाँ सहित झरिया, धनबाद, बाघमारा, निरसा के माईनिंग क्षेत्रों में 24 घंटे भारी वाहनों द्वारा परिवहन कार्य किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि औद्योगिक ईकाईयों, माईनिंग क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व की अधिकता वाहनों का अत्याधिक दबाव के कारण पूरे जिले की यातायात व्यवस्था एक ही यातायात थाना पर होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने में धनबाद यातायात पुलिस को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। यातायात थाना धनबाद में अतिरिक्त पुलिस बल प्रतिनियुक्त कर अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगाया है जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिले में आम जनता को सुगम यातायात व्यवस्था मुहैया करवाने तथा मोटर वाहन अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के उदेश्य से धनबाद अंतर्गत यातायात थाना झरिया के सृजन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–26/2023–6026/ राँची, दिनांक– 17/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2237, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(29)

डॉ० सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के पुलिस कर्मियों को वर्ष 2017 से ही राशन मनी 3000 रुपये प्रतिमाह एवं वर्दी भत्ता 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के पुलिस कर्मियों को राशन मनी 2000 रुपये प्रतिमाह एवं वर्दी भत्ता कि राशि 4000 रुपये प्रतिवर्ष ही दिया जा रहा है जिसके कारण इनके मनोबल पर बुरा असर पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड पुलिस के पुलिसकर्मियों को वर्तमान में 2000–रु० प्रति माह राशन भत्ता देय है। इसी प्रकार सिपाही/हवलदार को वर्तमान में 4000–रु० प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता एवं सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को 4500–रु० प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता देय है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के पुलिस कर्मियों को भी राशन मनी एवं वर्दी भत्ता खण्ड–01 के समरूप देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड पुलिस के पुलिसकर्मियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों, यथा राशन मनी भत्ता, वर्दी भत्ता इत्यादि को सप्तम वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–24/2023–6019/ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2234, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पिछले 04 वर्षों से झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है, जिस कारण नागरिकों के 25000 से अधिक द्वितीय अपीलवाद और शिकायतवाद आयोग में सुनवाई हेतु लंबित पड़े हुए है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। दिनांक–08.05.2020 को श्री हिमांशु शेखर चौधरी, सूचना आयुक्त के सेवानिवृति के पश्चात सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त का पद रिक्त है। झारखण्ड राज्य सूचना आयोग से प्राप्त पत्र ज्ञापांक–1132, दिनांक– 09.11.2023 के अनुसार दिनांक–09.11.2023 तक 7657 अपीलवाद एवं 71 शिकायतवाद आयोग में सुनवाई हेतु लंबित है।
2.	क्या यह बात सही है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (3) के अनुसार झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में 01 मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति हेतु मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रिमंडल का सदस्य की समिति की सिफारिश होना आवश्यक है, और उक्त तीनों पदों पर उक्त पदधारक पिछले 02 महीने से अधिक समय से कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो सकी है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का 01 पद एवं सूचना आयुक्त के कुल 06 पद निर्धारित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि विज्ञापन सं0 01/2020 के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एकल पद तथा 05 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु क्रमशः 63 एवं 354 आवेदन प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–15(3) के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–1355 दिनांक 20.02.2020 द्वारा समिति का गठन निम्नवत् किया गया है :– 1. माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड, राँची – अध्यक्ष 2. माननीय नेता, विरोधी दल झारखण्ड विधान सभा, राँची – सदस्य 3. श्री चम्पाई सोरेन, मननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं परिवहन विभाग, राँची – सदस्य झारखण्ड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक–1890, दिनांक–16.10.2023 के आलोक में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की अधिसूचना सं0–1391 दिनांक–20.10.2023 के द्वारा श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स0वि0स0 को झारखण्ड विधान सभा में नेता विरोधी दल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेता विरोधी दल घोषित किए जाने के पश्चात मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्तों की नियुक्ति निमित्त चयन समिति की बैठक दिनांक–16.11.2023 को आहूत की गई थी, जो अपरिहार्य कारणवरण स्थगित हो गई। मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्तों की नियुक्ति निमित्त चयन समिति की बैठक दिनांक–21.12.2023 को आहूत की गई है।

3.	क्या यह बात सही है सूचना आयोग की भांति ही लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग सहित दर्जनों आयोग/निगम/बोर्ड में सदस्यों/पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से ये सभी अक्रियाशील हो गए है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है ;	लोकायुक्त तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्तर से की जा रही है। अन्य आयोग/निगम/बोर्ड में नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित विभागो के द्वारा की जाती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में अगले 01 माह के अंदर मुख्य सूचना आयुक्त सहित रिक्त 10 सूचना आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति करवाते हुए कंडिका–03 में वर्णित आयोग /निगम/बोर्ड में सदस्यों/पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति करवाने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	ऊपर के खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–30/2023 का0 7051 /राँची दिनांक– 16 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2206, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/2023
सरकार के उप सचिव

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न की सूचना।

क्रम	अल्प सूचित प्रश्न	विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग, झारखण्ड, सरकार के संकल्प संख्या 1113, दिनांक 10–10–2014 के आलोक में राज्य सरकार में समान रूप से नियुक्त एवं कार्यरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सरकारी सेवकों जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 से आच्छादित है, जो अधिकतम 05 वर्षों एवं सामान्य जाति के सरकारी सेवकों के लिये भूमि बंधक रखकर गृह निर्माण अग्रिम की राशि स्वीकृत की जा रही है।	**स्वीकारात्मक** राज्य सरकार में समान रूप से नियुक्त एवं कार्यरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सरकारी सेवकों जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 एव संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 से आच्छादित सरकारी सेवकों के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन निबंधन कार्यालयों द्वारा अधिकतम पाँच वर्षों तक के लिये ही बंधन पत्र सम्पादित कराया जाता है। उक्त के कारण ही अधिकतम पाँच वर्षों तक की अवधि में वसूली योग्य गृह निर्माण अग्रिम की राशि स्वीकृत की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार में समान रूप से नियुक्त एवं कार्यरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को उक्त संकल्प के आलोक में सामान्य वर्ग के सरकारी सेवकों की तुलना में कम गृह निर्माण अग्रिम की राशि स्वीकृत की जा रही है।	**आंशिक स्वीकारात्मक** गृह निर्माण अग्रिम राशि की गणना कर्मी की बची हुई सेवा के आलोक में की जाती हैं। तदालोक में गृह निर्माण अग्रिम के लिये भूमि का बंधन पत्र सम्पादित कराया जाता हैं। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन निबंधन कार्यालयों द्वारा इनकी भूमि मात्र पाँच वर्षो तक के लिये बंधक रखी जाती है। जिसके आलोक में ही पाँच वर्षों तक की अवधि में वसूली योग्य गृह निर्माण अग्रिम राशि की गणना की जाती है। इस कारण सामान्यतः इन्हे सामान्य श्रेणी की अपेक्षा कम राशि अनुमान्य होता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समान रूप से नियुक्त एवं कार्यरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सरकारी सेवकों को सामान्य वर्ग के सरकारी सेवकों के समरूप भूमि बंधक रखकर गृह निर्माण अग्रिम की राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नही तो क्यो ?	राज्य सरकार के सेवीवर्ग को प्रदान किये जाने वाले गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित प्रावधानों में संशोधन हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जिसमें अंकित विषयवस्तु पर भी विचार किये जाने से संबंधित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग ।

ज्ञापांक – 1051/वि॰उ॰ दिनांक – 15/12/2023

प्रतिलिपिः – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञाप सं0 2245, दिनांक 13–12–2023 के क्रम में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन की 200 प्रतियाँ आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित ।

(अवर सचिव)
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(32)

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, पलामू जिले के अतिउग्रवाद प्रभावित क्षेत्र छतरपुर, नौडीहाबाजार, पाटन एवं पड़वा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि के रूप में मैं निर्वाचित सदस्य हूँ क्षेत्र की समस्या को सुनने–समझने हेतु हमेशा जनता के बीच में रहती हूँ,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि वर्तमान में मेरे सुरक्षा के नाम पर मात्र तीन अंगरक्षक एवं तीन हाउस गार्ड उपलब्ध है जिनके पास हथियार के नाम पर एक कारवाईन एवं पाँच इंसास राईफल है ?	पलामू जिला में सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक–17.08.2023 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष सुरक्षा समिति, पलामू की अध्यक्षता में सम्पन्न कराया गया। उक्त बैठक में सुरक्षा संबंधी समीक्षा के उपरांत श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० को 01 (एक) अंगरक्षक एवं 01–04 (एक–चार) हाउस गार्ड प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि इस संदर्भ में मैंने पूर्व में भी राज्य के DGP पुलिस महानिदेशक को लिखित रूप से एवं ईमेल के माध्यम से 19.12.22 को एवं उनके कार्यालय में 03.01.23 को (पत्रांक–148/22/राँची, दिनांक–18.12.22) एवं दिनांक–06.02.23, 21.02.23 को भी ईमेल के माध्यम से पत्राचार कर चुकी हूँ जिस पर कार्रवाई अभी तक शून्य है;	राज्य में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में विशेष शाखा द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है तथा मानको एवं जरूरतों के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मेरी क्षेत्र की गतिविधि को देखते हुए मेरी सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों को आधुनिक हथियार AK–47 उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सरकार द्वारा उपयुक्त समय सीमा के अंदर इसकी समीक्षा कर मानकों एवं आवश्यकतानुरूप कार्यवाही की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक– 08/वि०स० (04)–46/2023–7005/ राँची, दिनांक– 17/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2212, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

(33)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि नगर पंचायत/नगर निकाय/नगर निगमों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र संख्या–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अद्यतन संशोधित निदेश के अनुसार कंडिका–06(घ) में उल्लिखित कागजात के नहीं होने या भूमिहीन होने की स्थिति में वार्ड समिति का मंतव्य प्राप्त करना आवश्यक है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2023 अप्रैल माह को वार्ड समिति का कार्यकाल पूरा हो जाने तथा चुनाव नहीं होने से वर्तमान में नगर पंचायत/नगर निकाय/नगर निगम अस्तित्व में नहीं है जिसके कारण कंडिका–06(घ) में वर्णित कागजात के नहीं होने तथा भूमिहीन होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं है;	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 5718, दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार "वस्तुस्थिति यह है कि निकायों के निर्वाचित निकाय परिषद (बोर्ड) के कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत अगले आम निर्वाचन के पश्चात् निकाय परिषद (बोर्ड) के गठन तक उक्त परिषद की सभी शक्तियों एवं कार्यों का विधि अनुसार प्रयोग/संपादन हेतु प्रशासको की नियुक्ति की गई है।"
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त परिस्थिति में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की दिशा में कोई वैकल्पिक उपाय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–58/2023 का0– 7059 / रांची, दिनांक– 17/12/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–2226, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.23

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(34)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–40 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभाग के द्वारा स्थानीयता की परिभाषा में संकल्प 3198, दिनांक–18.04.2016 के तहत् धारा 2 में 30 वर्ष तक निवास करने वाले व्यक्तियों को स्थानीय माना गया है,	अंशतः स्वीकारात्मक। संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 की कंडिका 2 में झारखण्ड का स्थानीय निवासी माने जाने हेतु अंकित शर्तों की उप कंडिका–(ii) के अनुसार "किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।"
2	क्या यह बात सही है कि इससे राज्य मूलवासी, खतियानी नागरिकों के अधिकार और अवसर संकुचित हो रहे है,	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के मूलवासियों के व्यापक हित में उक्त संकल्प के धारा 2 को विलोपित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–60/2023 का0– 2039 / रांची, दिनांक– 15-12-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–2223, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/23
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, पलामू जिला मुख्यालय से छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय की दूरी 50 कि०मी० एवं नौडिहाबाजार प्रखण्ड मुख्यालय की दूरी 70 कि०मी० है, जिसमें अनुमंडल बनने के 30 वर्ष बाद भी अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशमन वाहन कि व्यवस्था नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, अनुमंडल मुख्यालय सहित आस–पास के प्रखण्डों में आगजनी की घटना होने पर पलामू मुख्यालय से अग्निशमन वाहन को पहुँचने में 2 से 2.5 घंटा लगता है जिससे अग्निशमन वाहन पहुँचते–पहुँचते आगजनी से काफी जान–माल नुकसान (क्षति) हो जाता है;	अस्वीकारात्मक। छत्तरपुर अनुमण्डल एवं नौडिहाबाजार प्रखण्ड में आगजनी की घटना होने पर जिला मुख्यालय पलामू एवं अनुमण्डल हुसैनाबाद से अग्निशमन वाहन भेजकर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशमन वाहन (कर्मचारी सहित) की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	अग्निकांड की घटनाओं के मद्देनजर प्रथम चरण में राज्य के अनुमण्डल मुख्यालयों, जिसमें छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय भी शामिल है, में अग्निशामालय खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स०–07/07/2023–7000/ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2228, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

36

श्री इरफान अंसारी , माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–14 का उत्तर सामग्री। 1994 16/12/2023

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** **श्री इरफान अंसारी,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा के नारायणपुर प्रखण्ड में ITI कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र– छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए काफी दूर जाना पड़ता है;	जामताड़ा जिलान्तर्गत दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथा जामताड़ा एवं करमाटाँड विद्यासागर सरकार स्तर पर संचालित है तथा चार प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। अतः जामताड़ा जिला के बच्चे–बच्चियों को वोकेशनल ट्रेनिंग जिला में करने की सुविधा है।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त कॉलेज का निर्माण नारायणपुर प्रखण्ड में हो जाने से यहाँ के बच्चों को अपने प्रखण्ड में ही कम खर्च पर पढ़ाई संभव हो पाएगी,	क्रमांक–1 स्थिति स्पष्ट है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नारायणपुर प्रखण्ड में ITI कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जामताड़ा जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखण्ड में चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना / निर्माण हेतु सरकार स्तर पर प्रस्ताव नहीं है।

16/12/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–65 / 2023श्र0नि0– 1994 **राँची, दिनांक–** 16/12/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2215, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2023

सरकार के अवर सचिव।

37

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–48 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पड़ोसी राज्य बिहार में शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन व पदों एवं सेवाओं में 75 फिसदी आरक्षण लागू है ;	विभागीय पत्रांक–7008, दिनांक–15.12.2023 के द्वारा बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिहार के माननीय राज्यपाल की सहमति के पश्चात बिहार सरकार ने इस संबंध में गजटं प्रकाशित कर अधिसूचित भी कर दिया है ;	
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में ओबीसी की प्रभावी आरक्षण सीमा को बढ़ाने हेतु पारित विधेयक माननीय राज्यपाल के द्वारा त्रुटि पूर्ण बताकर लौटा दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित **"झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022"** झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.11.2022 को पारित किया गया है। सम्प्रति अग्रतर विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार सरकार के तर्ज पर पड़ोसी राज्य में लागू आरक्षण से संबंधित तथ्यों पर शोध करके पुनः विधेयक संशोधन कर महामहिम राज्यपाल को प्रेषित करने एवं ओबीसी आरक्षण की प्रभावी सीमा बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–61 / 2023 का0– 7038 / रांची, दिनांक– 15-12-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–2225, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/23
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(38)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–16 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्यन्तर्गत विभिन्न विभागों के सभी संवर्गो के 4.73 लाख स्वीकृत पद के विरूद्ध 3.50 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े है, जिससे विभिन्न विभागों के कार्य बाधित हो रहें है ;	सभी विभागान्तर्गत विभिन्न सेवा/संवर्गों की अद्यतन रिक्तियों का आकलन हेतु सभी विभागों/संस्थानों से प्रतिवेदन की मांग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–6974, दिनांक–14.12.2023 के द्वारा की गई।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 से लेकर आजतक राज्य सरकार द्वारा खण्ड (1) में रिक्त पद के विरूद्ध मात्र 2 हजार नियुक्तियाँ हुई है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाना चाहेगी कि वर्ष 2020 से लेकर अबतक खण्ड (1) में वर्णित नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर किन–किन संवर्गो में कितनी नियुक्यिाँ की जा चुकी है तथा कब तक शेष रिक्त पदों पर नियुक्यिाँ करेगी, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2020 से लेकर अबतक :– (i) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों को 8086 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसाएँ की गई है। (ii) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों को 3336 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसाएँ की गई है। इस प्रकार 2020 से लेकर अबतक विभिन्न विभागों को कुल 11,422 (ग्यारह हजार चार सौ बाईस) पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसाएँ की गई है। (iii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न सेवा/संवर्गों के 44,977 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित की गई है, जिसके विरूद्ध 36,765 (छत्तीस हजार सात सौ पैंसठ) पदों के विरूद्ध विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में 1602 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–31/2023 का0 7058 /राँची दिनांक– 17 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2208 दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2023

सरकार के उप सचिव

(39)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय लिया गयाहै ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि निकाय चुनाव नहीं होने के कारण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र सं0–5713, दिनांक–15.12.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निकायों के निर्वाचित निकाय परिषद (बोर्ड) के कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत अगले आम निर्वाचन के पश्चात निकाय परिषद (बोर्ड) के गठन तक उक्त परिषद की सभी शक्तियों एवं कार्यों का विधि अनुसार प्रयोग/संपादन हेतु प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने के अपने निर्णय के अनुपालन हेतु राज्य पिछड़ा आयोग का पूर्ण गठन करने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	'झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002' के नियम 3(2) एवं 4(1) में निम्नांकित प्रावधान किया गया है:– '3 (2) आयोग में निम्नलिखित सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे– (क) अध्यक्ष (ख) एक समाज विज्ञानी, (ग) दो व्यक्ति, जो पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध विषयों में विशेष ज्ञान रखते हों, और (घ) सदस्य सचिव, जो झारखण्ड सरकार के सचिव विशेष सचिव, अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी हैं या रह चुके है। वर्तमान में पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग में सदस्य सचिव के पद पर संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी कार्यरत है तथा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों पर मनोनयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–29/2023 का0 7057 /राँची दिनांक– 17 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2204 दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2023

सरकार के उप सचिव

(40)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–04 का उत्तर सामग्री। 1991 16/12/2023

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि संपूर्ण झारखण्ड प्रदेश के सभी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में वर्ष 2023–24 में प्लेसमेंट सेल की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया परन्तु प्लेसमेंट सेल की स्थापना 30 नवंबर, 2023 तक एक भी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में नहीं की गई है;	**अस्वीकारात्मक।**
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड प्रदेश के सभी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्लेसमेंट सेल की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्लेसमेंन्ट सेल की स्थापना कर दी गई है।

16/12/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–61 / 2023श्र0नि0– 1991 राँची, दिनांक– 16/12/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2182, दिनांक–11.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2023

सरकार के अवर सचिव।

(41)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–37 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, राज्य में कुल 32 जेलों में निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी बंद है;	आंशिक स्वीकारात्मक राज्य के 31 जेलों में बंदियों की कुल क्षमता–17461 हैं, जिसके विरूद्ध कुल–18900 बंदी संसीमित है, विस्तृत विवरणी संलग्न है।
2	क्या यह बात सही है कि, जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को रहने हेतु समुचित संसाधन एवं हजारों बंद युवक–युवतियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था की घोर कमी है;	वस्तुस्थिति यह है कि– 1. बंदियों के कक्षा–1 से 10 तक शिक्षण हेतु पढ़ाई की व्यवस्था है। प्रशिक्षण हेतु कारा में प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र है, जिनमें साबुन, कपड़ा, कंबल, फिनाईल, स्टेशनरी आदि के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2. वर्तमान में 02 उपकारा यथा–उपकारा नगरऊँटारी एवं चक्रधरपुर निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नये जेलों का निर्माण एवं बंद युवक–युवतियों की प्रशिक्षण हेतु ठोस कार्य योजना लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–12/2023–.....6017...../ राँची, दिनांक– 16/12/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2231, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

(5)

Summary Report for Prisoners in Jharkhand Jail

(As on 15.12.2023)

S.No.	Name of Prisons	Capacity of Prisons	Civil	Convicted	Under Trial	Total	Percentage of Occupancy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BIRSA MUNDA CENTRAL JAIL HOTWAR, RANCHI	3666	0	1394	1939	3333	90.92
2.	CENTRAL JAIL DEOGHAR	335	0	125	366	491	146.57
3.	CENTRAL JAIL DUMKA	1209	0	717	532	1249	103.31
4.	CENTRAL JAIL GHAGHIDIH, JAMSHEDPUR	1605	0	1038	846	1884	117.38
5.	CENTRAL JAIL GIRIDIH	554	0	138	687	825	148.92
6.	L.J.NARAYAN CENTRAL JAIL, HAZARIBAGH	1990	0	1076	732	1808	90.85
7.	CENTRAL JAIL MEDININAGAR, PALAMU(DALTONGANJ)	703	0	326	635	961	136.70
8.	DISTRICT JAIL CHAIBASA	621	0	68	902	970	156.20
9.	DISTRICT JAIL CHAS, BOKARO	435	0	89	262	351	80.69
10.	DISTRICT JAIL CHATRA	209	0	2	613	615	294.26
11.	DISTRICT JAIL DHANBAD	856	0	88	597	685	80.02
12.	DISTRICT JAIL GARHWA.	250	0	25	492	517	206.80
13.	DISTRICT JAIL GODDA	298	0	12	319	331	111.07
14.	DISTRICT JAIL GUMLA	215	0	1	522	523	243.26
15.	DISTRICT JAIL JAMTARA	186	0	0	180	180	96.77
16.	DISTRICT JAIL KODERMA	210	0	8	236	244	116.19
17.	DISTRICT JAIL LATEHAR	210	0	5	433	438	208.57
18.	DISTRICT JAIL LOHARDAGA	310	0	30	338	368	118.71
19.	DISTRICT JAIL PAKUR	225	0	13	225	238	105.78
20.	DISTRICT JAIL SAHIBGANJ	225	0	5	309	314	139.56
21.	DISTRICT JAIL SAKCHI, JSR	179	0	33	199	232	129.61
22.	DISTRICT JAIL SARAIKELA	304	0	12	395	407	133.88
23.	DISTRICT JAIL SIMDEGA	208	0	5	366	371	178.37
24.	OPEN JAIL -CUM- REHABILITATION CENTRE, HAZARIBAGH	100	0	6	51	57	57.00
25.	SJ-BARHI, HAZARIBAGH	325	0	2	11	13	4.00
26.	SUB JAIL GHATSHILA	325	0	7	213	220	67.69
27.	SUB JAIL KHUNTI	500	0	3	550	553	110.60
28.	SUB JAIL MADHUPUR	463	0	28	146	174	37.58
29.	SUB JAIL RAJMAHAL	120	0	1	163	164	136.67
30.	SUB JAIL RAMGARH	325	0	1	177	178	54.77
31.	SUB JAIL TENUGHAT	300	0	6	200	206	68.67
	Total	17461	0	5264	13636	18900	108.24

42

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–08 का उत्तर प्रतिवेदन –

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता **श्री दशरथ गागराई,** माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता **श्री बन्ना गुप्ता,** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि अतिवृष्टि/ओलावृष्टि/चक्रवातीय तुफान से हुए मकान क्षति मामले में देय मुआवजा राशि (पूर्ण क्षति पर–95100 रुपया, आंशिक क्षति पर–3200 रुपया, कपड़ा–1800 रुपया, वर्तन–2000 रुपया) काफी कम है जो वर्त्तमान समय में प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त नही है,	अस्वीकारात्मक। गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–33-03/2020- NDM-I, दिनांक–11.07.2023 द्वारा संशोधित राज्य आपदा मोचन निधि के निमित्त मद एवं मानदण्ड संबंधी निर्गत निदेश के आलोक में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि/चक्रवातीय तुफान से हुए मकान क्षति मामले में देय मुआवजा राशि निम्नवत् है – पूर्ण क्षति पक्का मकान (मैदानी क्षेत्र)–₹ 1,20,000 पूर्ण क्षति कच्चा मकान (पहाड़ी क्षेत्र)–₹ 1,30,000 15% की आंशिक क्षति होने पर पक्का मकान–₹ 6,500 15% की आंशिक क्षति होने पर कच्चा मकान–₹ 4,000 कपड़ा की क्षति होने पर–₹ 2,500 प्रति परिवार बर्तन की क्षति होने पर–₹ 2,500 प्रति परिवार
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित मुआवजा राशि में बढ़ोतरी का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधायी(अल्प–सूचित)–57/2023–आ०प्र०–884/राँची, दिनांक–15.12.2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/2023

(अमरेश कुमार नीरज)
विशेष कार्य पदाधिकारी

(43)

श्री रामचन्द्र सिंह , माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–44 का उत्तर सामग्री। 1993
16/12/2023

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** **श्री रामचन्द्र सिंह,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह प्रखण्ड में लगभग 4 वर्ष पूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ITI भवन का निर्माण किया जा चुका है परन्तु पठन–पाठन हेतु शैक्षणिक सत्र आज तक शुरू नहीं हो पाया है स्थानीय छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा हेतु बरवाडीह से लातेहार करीब 75 कि0मी0 दूरी तय कर आना–जाना पड़ता है;	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरवाडीह का वर्ष–2022 में NCVT से सम्बन्धन के पश्चात् शैक्षणिक सत्र–2023 विद्युत एवं फिटर व्यवसाय में प्रशिक्षणर्थियों का नामांकन हुआ है। प्रशिक्षण अधिकारियों की कमी के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत महिला औद्यागिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु परीक्षा ले लिया गया है। आयोग की अनुशांसा प्राप्त होने के फलस्वरूप विभाग द्वारा नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित ITI भवन में पठन–पाठन हेतु सभी संसाधन इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मशीन उपकरण, उपस्कर एवं अन्य जरूरी सभी संसाधनों के क्रय हेतु 01.60 करोड रूपये का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। सभी संसाधनों के क्रय एवं प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के फलस्वरूप बरवाडीह लातेहार में छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

16/12/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–67 / 2023श्र0नि0–1993 राँची, दिनांक–16/12/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2218, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2023

सरकार के अवर सचिव।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक 18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–19 का उत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य की पहचान एवं अस्तित्व क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की संरक्षण तथा संवर्धन में निहित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में उद्धृत भाषाओं की राजभाषा से संबंधित अधिसूचना अबतक असाधारण अंक में न तो प्रकाशित की गई है और न ही विभाग इस मामले में गंभीर है जिसके कारण भाषाई विकास अवरुद्धहो चुकी है;	अस्वीकारात्मक। झारखंड राज्य में राजभाषा का दर्जा केवल देवनागरी लिपि में लिखित 'हिन्दी' भाषा को प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा संथाली, मुंडारी, हो, कुडुख (उराँव), बंगला, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एवं भूमिज भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जो क्रमशः अधिसूचना संख्या 203, दि. 18.11.2011 तथा 175, दि. 29.10.2018 के अधीन झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य की अस्तित्व के वाहक क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिये जाने के साथ अनिवार्य रूप से हर स्तर पर लागू करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांकः–राजभाषा/वि०स०–20/2023/.....179...../रा० राँची, दिनांक 16 दिसम्बर, 2023

प्रति, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं. 2243 वि.स., दिनांक 13.12.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/12/2023

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के संयुक्त सचिव

(45)

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–46 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (**Mutiny**) में राँची जिलान्तगर्त ओरमांझी प्रखण्ड के गगारी गाँव में 30.12.1802 को जन्मे अमर स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया का नाम केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रख दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि ओरमांझी अंचल अंतर्गत ग्राम–गगारी में शहीद जीतराम बेदिया की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ 23 अप्रैल को शहादत दिवस एवं ग्राम–पिस्का में 30 दिसम्बर को जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्राम–पिस्का में भी जीतराम बेदिया की प्रतिमा स्थापित है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्वतन्त्रता सेनानी जितराम बेदिया का 1857–58 की **Mutiny** में अप्रतीम एवं अविस्मरणीय योगदान के कारण **British Doueiuion** की कोई भी **Troop Ramgarh** से **Ranchi** की ओर प्रवेश नहीं कर पाई थी ;	इस संबंध में सरकारी दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
3	क्या यह बात सही कि खण्ड–2 में वर्णित अदस्य शौर्य के प्रतीक जीतराम बेदिया को **23 April 1858** के घनघोर संघर्ष के बाद **British** हुकूमत ने मौत के घाट उतार दिया तथा ऐसे वीर महापुरुष पराक्रमी सेनानी को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है ;	सरकार विषय के प्रति संवेदनशील है तथा इस संबंध में विशेषज्ञ समिति से जाँच कराकर फलाफल के आधार पर समूचित निर्णय लिया जायेगा।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जितराम बेदिया को अमर शहीद का दर्जा देकर सम्मान देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स० (अ०सू०)–07/2023–6014/ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2232, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि Police Sub Inspector की Rank में वर्ष 2020 पुलिस मुख्यालय का आदेश ज्ञापांक–1197/p Ranchi, दिनांक–20.11.2020 में सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के Letter No-4709/दिनांक 13.08.2008 के द्वारा प्रोन्नति से संबंधित निर्देश का अनुपालन सही तरीके से नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–4709, दिनांक–13.08.2008 में अंकित निर्देशों का अनुपालन करते हुए पुलिस मुख्यालय, झारखाण्ड, राँची का आदेश ज्ञापांक–1197/पी0, दिनांक–20.11.2020 के द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की काटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड में वर्णित पत्रांक संख्या द्वारा Properly Coupliance नहीं होने से तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध योग्य पुलिस अवर निरीक्षकों की अनदेखी की गयी है तथा सामान्य गुणागुण कोटि के मापदंड पर खरे उतरे St उम्मीदवारों को Reserve Catagory में Enlisted कर शासकीय आदेश ही नहीं अपितू संवैधानिक अधिकार की हनन किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विसंगति दूर कर प्रोन्नति प्रदान करने तथा मामले में कोताही बरतने के दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–1008/2023–.....6021...../ राँची, दिनांक– 16/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2233, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(47)

श्री केदार हाजरा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–18.12.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–26 का

उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिले में चौकीदार की बहाली हेतु विज्ञापन निकाली गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में निहित विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के लिए पद आरक्षित किया गया है जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में निहित विज्ञापन में निहित विज्ञापन में अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं रहने पर स्थानीय अनुसूचित जातियों के अभियार्थियों को आरक्षण का लाभ से वंचित रहना पड़ेगा;	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं०–1617, दिनांक–17.03.2023 के आलोक में गिरिडीह जिला के चौकीदार संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन सरकार के अवर सचिव, आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक–65–02 (स्था०)/2022–1200, दिनांक–25.08.2023 से प्राप्त है, जिसके अनुसार गिरिडीह जिला में चौकीदार संवर्ग का कुल स्वीकृत पद–630 है, जिसके विरूद्ध कार्यरत बल–241 है तथा रिक्त पद–389 है, जिसमें अनुसूचित जाति श्रेणी अंतर्गत कुल स्वीकृत पद 82 के विरूद्ध वर्तमान में कुल–82 चौकीदार कार्यरत है। जिस कारण प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए रिक्त '0' (शून्य) है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गिरिडीह जिले में चौकीदार की बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति के अभियार्थियों के लिए स्वीकृत पद के अनुरूप आरक्षण देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०(अ०सू०)–08/2023–6023/ राँची, दिनांक– 17/12/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2209, दिनांक–13.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(48)

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.12.2023 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–39 का उत्तरः–

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि वर्ष– 2023–24 में राज्य जीएसटी वसूली का लक्ष्य 24000 करोड़ रूपया था जिसके विरूद्ध गत नवम्बर तक मात्र 13633.15 करोड़ रूपये की वसूली हुई है जो लक्ष्य का मात्र 56.80 प्रतिशत है ?</td><td>स्वीकारात्मक।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में माल और सेवा कर (GST), झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (JVAT), विद्युत शुल्क (ED) तथा झारखण्ड पेशा कर (JPT) सहित कुल वसूली का लक्ष्य 24000 करोड़ रूपये निर्धारित है।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि वाणिज्य–कर विभाग में अधिकारियों की कमी होने के कारण एक अधिकारी कई कार्यों के अतिरिक्त प्रभाव में है, जिसके कारण कर वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?</td><td>वर्तमान में यहीं स्थिति है।</td></tr>
<tr><td>3. क्या यह बात सही है कि वर्ष–2021–22 और 2022–23 में झारखण्ड को जीएसटी कंपनसेशन के रूप में क्रमशः 2484 करोड़ रूपये और 2064 करोड़ रूपये मिले है, परन्तु 2023–24 में अबतक मात्र 165 करोड़ मिले है, जिसमें वृद्धि की संभावना नही है जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य बजट पर पड़ेगा ?</td><td>स्वीकारात्मक।
वर्ष 2023–24 में अभी तक वर्ष 2021–22 तक के बकाया क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 165 करोड़ राशि Compensation के मद में प्राप्त हुए है।
वर्ष 2022–23 (माह जून, 2022 तक) के लिए Protected Revenue के आधार पर शेष बकाए राशि की गणना कर दिनांक 12.07.2023 को नीति आयोग के माननीय सदस्यों के साथ संपन्न बैठक में अवगत कराया गया है।</td></tr>
<tr><td>4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वाणिज्य–कर वसूली क्षमता बढ़ाने के लिए रिक्तियों को भरने एवं कराधान प्रक्रिया में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>
<table>
<tr><th>पद</th><th>स्वीकृत बल</th><th>कार्यरत बल</th><th>रिक्ति</th></tr>
<tr><td>राज्य–कर विशेष आयुक्त</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td>राज्य–कर अपर आयुक्त</td><td>19</td><td>0</td><td>19</td></tr>
<tr><td>राज्य–कर संयुक्त आयुक्त</td><td>44</td><td>16</td><td>28</td></tr>
<tr><td>राज्य–कर उपायुक्त</td><td>60</td><td>12</td><td>48</td></tr>
<tr><td>राज्य–कर सहायक आयुक्त</td><td>122</td><td>89</td><td>33</td></tr>
<tr><td>राज्य–कर पदाधिकारी</td><td>193</td><td>127</td><td>66</td></tr>
<tr><td>कुल–</td><td>443</td><td>244</td><td>199</td></tr>
</table>
रिक्त पदों यथा, राज्य–कर अपर आयुक्त, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, राज्य–कर उपायुक्त एवं राज्य–कर सहायक आयुक्त के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता रखने वाले सभी पदाधिकारियों को नियमित प्रोन्नति प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
</table>

	झारखण्ड वित्त सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध 66 रिक्त पद के विरूद्ध 63 पद की अधियाचना विहित प्रपत्र में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। 2. वर्त्तमान में कुल राजस्व संग्रहण का लगभग **60%** राजस्व GST के अन्तर्गत प्राप्त होता है जिसमें कराधान की प्रक्रिया GST Council के द्वारा निर्धारित की जाती है। शेष लगभग **40%** राजस्व झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर **(VAT),** विद्युत शुल्क **(ED)** तथा झारखण्ड पेशा कर **(JPT)** से प्राप्त होता है। जिसके अन्तर्गत कराधानं प्रक्रिया को सरल किया गया है। VAT के अन्तर्गत Online Assessment, JPT के अन्तर्गत एकीकृत निबंधन, एकीकृत कर भुगतान तथा कर भुगतान के पश्चात् स्वतः विवरणी दाखिला होने (Auto Return Filing) की व्यवस्था कर दी गई है। ED के अन्तर्गत Online Return Filing और Online Payment की व्यवस्था की गयी है जिससे कर–दाताओं को सहूलियत हो रही है।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांक–वा0 कर/वि.मं./05/2023 1990 /राँची, दिनांक– 15-12-23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उत्तर की 200 प्रतियाँ उनके ज्ञाप संख्या 2238 दिनांक 13.12.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/23

(विनय कुमार सिन्हा)
राज्य–कर अपर आयुक्त।